सं0सं0--7/सदर-23-01/2018- 32 (7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
खगड़िया ।

पटना, दिनांक 20-9-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01) कुल ₹6,56,642/– (छः लाख छप्पन हजार छः सौ बेयालीस रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–21(7)ब दिनांक–14.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01) कुल ₹6,56,642/– (छः लाख छप्पन हजार छः सौ बेयालीस रू0) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. संबंधित सिविल सर्जन. को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. यह आवंटन एम0जे0सी0 संख्या–3564/17 डा0 मीरा सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में दी जा रही है ।

9. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 19.9.2018

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 32(7)9 पटना, दिनांक : 20-9-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19.9.2018

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

वितीय वर्ष 2018 2019 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड–20–2210011100013)

क्रम	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	खगड़िया	656642	MJC No.3564/17
	कुल	656642	

(छः लाख छपपन हजार छः सौ बेयालीस) रू0

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवषेश राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013 01 01)	2443470000	1212000000	0	1212000000	1231470000
2	जीवन यापन भत्ता (0013–01–03)	366520000	181800000	0	181800000	184720000
3	मकान किराया भत्ता (0013–01–04)	390950000	181800000	0	181800000	209150000
4	परिवहन भत्ता (0013–01–05)	18550000	705000	0	705000	17845000
5	चिकित्सा भत्ता (0013–01–06)	46150000	24240000	0	24240000	21910000
6	अन्य भत्ता (0013–01–07)	244340000	121200000	0	121200000	123140000
7	त्यौहार अग्रिम (0013–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	**3510980000**	**1721745000**	**0**	**1721745000**	**1789235000**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013–06–01)	2500000	0	656642	656642	1843358
9	यात्रा व्यय (0013–11–01)	2530000	1230000	0	1230000	1300000
10	कार्यालय व्यय (0013–13–01)	9006000	3240000	0	3240000	5766000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013–13–02)	3930000	1840000	0	1840000	2090000
12	दूरभाष (0013–13–03)	5000000	2460000	0	2460000	2540000
13	विद्युत प्रभार (0013–13–04)	58520000	22300000	0	22300000	36220000
14	विधि प्रभार (0013–13–05)	1000000	0	0	0	1000000
15	वर्दी/ पोषाक (0013–13–06)	997000	476000	0	476000	521000
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013–13–07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013–14–01)	1810000	830000	0	830000	980000
18	प्रशिक्षण व्यय (0013–20–03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013–21–01)	27000000	13560000	0	13560000	13440000
20	दवा भंडार (0013–21–02)	300000000	152500000	0	152500000	147500000
21	आहार/ पथ्य (0013–21–03)	120000000	50866250	0	50866250	69133750
22	लघु कार्य (0013–27–01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013–27–02)	50000000	0	0	0	50000000
24	संविदा सेवाएँ (0013–28–02)	800000000	389400000	0	389400000	410600000
25	व्यवसायिक/कला तकनीकी सेवाएँ(0013–28–04)	700000000	328600000	0	328600000	371400000
26	अनुग्रह अनुदान (0013–37–01)	800000	0	0	0	800000
27	मशीने एवं उपस्कर (0013–52–01)	50000000	21650000	0	21650000	2[illegible]50000
	कुल योगः–	**5671075000**	**2710697250**	**656642**	**2711353892**	**2959[illegible]1108**

सरकार के विशेष सचिव